**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं. 84**

**22.12.2017 को दिया जाने वाला उत्‍तर**

**आईआरसीटीसी को प्रतिकर**

**\*84. डा. संजय सिंह:**

**क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्‍या भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने अपने राष्‍ट्रीय रेलवे बुकिंग के सेवा प्रभारों के लिए रेल मंत्रालय से वर्ष 2015-16 के लिए 560 रुपये के प्रतिकर की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्‍या यह सच है कि नवम्‍बर, 2016 से मार्च, 2017 के दौरान आईआरसीटीसी को 220 करोड़ रुपये की राजस्‍व हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्‍या वर्ष 2016-17 में आईआरसीटीसी के माध्‍यम से टिकटों के नकदी रहित आरक्षण की वृद्धि दर के 68 प्रतिशत तक पहुंचने के बावजूद हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो आईआरसीटीसी को हुई हानि के लिए सरकार का प्रतिकर प्रस्‍ताव क्‍या है?

**उत्‍तर**

**रेल और कोयला मंत्री (श्री पीयूष गोयल)**

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

आईआरसीटीसी को प्रतिकर के संबंध में दिनांक 22.12.2017 को राज्‍य सभा में डा. संजय सिंह द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं.84 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण**।

(क): जी नहीं। डिजिटल और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 23.11.2016 से ई-टिकटों से सेवा प्रभार हटा दिया गया था। आईआरसीटीसी ने वित्‍त वर्ष 2016-17 और वित्‍त वर्ष 2017-18 के लिए सेवा प्रभार की अनुमानित राशि के लिए सरकार से अनुरोध किया था।

(ख): आईआरसीटसी ने केवल ई-टिकटों पर सेवा प्रभार के रूप में टिकट की लागत से अधिक अतिरिक्‍त प्रभार लगाया हुआ था, जो यात्रियों को हतोत्‍साहित करता था। सरकार डिजिटल और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस नीति को प्रोत्‍साहित करने के लिए सेवा प्रभार हटाना एक सकारात्‍मक कदम है। इस अतिरिक्‍त सेवा प्रभार को हटाने के कारण आईआरसीटीसी द्वारा 23 नवंबर 2016 से मार्च 2017 की अवधि के बीच 219 करोड़ रुपए की राजस्‍व की राशि वसूल नहीं की जा सकी। इसे राजस्‍व की हानि के रूप में नहीं बल्‍कि डिजिटल दिशा में प्रोत्‍साहन के रूप में देखा जाए।

(ग): 2016-17 में ई-टिकटिंग में आईआरसीटीसी का हिस्‍सा भारतीय रेलों पर आरक्षित टिकटों का लगभग 62 प्रतिशत है। सरकार द्वारा कैशलेस और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई नीति के कारण ई-टिकटों पर आईआरसीटीसी सेवा प्रभार वसूल नहीं कर सकी। सेवा प्रभार हटाने के बावजूद, आईआरसीटीसी ने 2015-16 में 306.79 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2016-17 में 328.47 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड उच्‍चतर कर पूर्व लाभ (पीबीटी) अर्जित किया है।

(घ): सरकार का आईआरसीटीसी को इंटरनेट के जरिए रेल टिकटों की बिक्री हेतु वार्षिक परिचालन लागत के लगभग 80 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की क्षतिपूर्ति देने का प्रस्‍ताव है।

\*\*\*\*